

उत्तर कोर्ट में निवेदन
अपील नं० 47/16 (225) उत्तर सत्यवीर हरिओम
न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

निर्णय दिनांक 03.04.2018

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार वाण्येय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 47/2016 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान



1. सत्यवीर शिशुपाल } पुत्रान बच्चू जाति ठाकुर निवासी ग्राम महलपुर चूरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलांट।

बनाम



1. हरिओम त्रिलोकपाल सिंह } पुत्रान बेताल सिंह जाति ठाकुर निवासी महलपुर चूरा तह0 रूपवास जिला भरतपुर

..... असल रैस्पोंडेंट।

2. ओमी गुलसी } पुत्रान बच्चू जाति ठाकुर निवासी ग्राम महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोंडेंट।

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

भू प्रबन्ध अधिकारी

पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 07.09.2016 उनवानी हरिओम बनाम ओमी मु0न0 119/2016

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. अपीलाण्ट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 03.04.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 07.09.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पोंडेंट/प्रार्थीगण ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण, इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 928/429 रकवा 03 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर के असल रैस्पोंडेंट/प्रार्थीगण 1/3-1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। उक्त विवादित आराजी से अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक एवं संबंध सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती, लट्ट व पैसे की दम पर विवादित आराजी पर जबरन अपना अवैध कब्जा कर उस पर पक्की तामीर करना चाहते हैं। यदि अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण अपनी उक्त धमकी व कृत्य में सफल हो गये तो असल रैस्पोंडेंट/प्रार्थीगण

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

